


24.042024:-आज पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी वकील उपस्थित  
नही आए। वादी का मूल वादपत्र अदम/हाजरी मे  
खारिज हो गया। मूल वाद पत्र खारिज होने के  
कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह  
जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी  
उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे  
वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली  
नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील  
दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डधिकारी  
हनुमानगढ़

